

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगमनी - 5314 / 2018 शाखा पुरुष / भूरा

फिल्म - 5314 / 2018 / शाखा पुरुष / भूरा

श्री एस. ए. बड़ा ज.
हारा आज मि. ३१०९/१८ लो
प्रसुत। प्राप्ति तर्क हेतु
विनांक ५६१०९/१८ दिएगा।

राजस्व मण्डल विभाग
प्रभुलाल

1- लोकेश पुत्र भेंसुलाल पाटीदार

2- मोहन पुत्र नारायण

3- गोविन्द पुत्र सुरेश कुमार

4- सत्यनारायण पुत्र बंशीलाल

5- योगेन्द्र पुत्र नाथूलाल शर्मा

6- प्रकाश पुत्र पन्नालाल जैन

7- मुरलीधर पुत्र अंबाराम टेलर

8- सतीश पुत्र बद्रीलाल टेलर

9- रूपेश पुत्र दुर्गाप्रिशाद मकवाना

10- योगेश पुत्र प्रभूलाल अग्रवाल

11- पंकज पुत्र प्रभूलाल अग्रवाल

12- कमलकिशोर पुत्र अमरलाल लोहार

13- प्रभूलाल पुत्र दुर्गाप्रिशाद पाटीदार

14- धनश्याम पुत्र राधेश्याम पाटीदार

15- आशा पत्नी राधेश्याम शर्मा

16- गोपाल पुत्र प्रेमनारायण सौनी

17- हेमा पत्नी रूपेश मकवाना

18- हेमराज पुत्र शिवनारायण पाटीदार

19- ममता पत्नी हरिनारायण मालवीय

20- संतोष पुत्र गोकुल सौनी

21- गंगिराज पुत्र गंगाराम राठौर

22- भावना पत्नी अमित जैन

23- मुकेश पुत्र चन्द्रलाल जैन

24- देवी पुत्र चन्द्रलाल जैन

573

25- पवन कुमार पुत्र रामचंद्र मालवीय

26- सलमा बी पत्नी शीकीर्ति

27- सुनील पुत्र कृष्णबल्लभ गुप्ता

28- रामकुवरबाई पत्नी दुर्गाप्रिशाद

29- मुकेश पुत्र जुगराज राठौर

30- गिराज पुत्र रामचंद्र पंडिया

31- मोहन पुत्र हरिनारायण राठौर

32- हेमंत पुत्र संतोष

33- महेश पुत्र भेरुलाल

समस्त निवासीगण— ग्राम मोमन
बडोदिया, ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत
मोमन बडोदिया, तहसील जिला शाजापुर
(म.प्र.)आवेदकगण

बनाम

ग्राम पंचायत ग्राम मोमन बडोदिया द्वारा
सरपंच जगदीश पाटीद्वार पुत्र मागीलाल,
तहसील जिला शाजापुर (म.प्र.)

.....अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व
संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय,
जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 01/अ-66/15-16
एवं प्रकरण क्रमांक 02/अ-66/2015-16 में पारित
आदेश दिनांक 08.08.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत ।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यहकि, ग्राम मोमन बडोदिया की शासकीय भूमि सर्व क. 1230/3 मिनि 1, सर्व क. 1269/1 एवं 1262 कुल रकवा 1.367 हैक्टर है जो शासकीय अभिलेख में हाट बाजार एवं अन्य मद दर्ज है। उक्त भूमि पर लोंगों द्वारा निर्माण कर अतिकमण किया जा रहा है जिससे ग्राम पंचायत को कोई आय नहीं हो पाती है। इसलिये उक्त भूमि को आबादी मद में परिवर्तित का प्रस्ताव विधिवत ग्राम पंचायत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5314/2018/शाजापुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१९.१२.१८	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५.४.१९ को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p> 	